

अध्यक्ष महोदय: श्री अहमद, कृपया बैठ जाइए। और स्पष्टीकरण को इजाजत नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री अहमद, कृपया बैठ जाइए। कृपया, और स्पष्टीकरण की मांग न की जाए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब प्रधान मंत्री वक्तव्य देंगे।

...(व्यवधान)

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिकिल): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था के मेरे प्रश्न को सुना जाए। मैं प्रक्रिया-नियम के नियम 376(2) के अधीन मामले की चर्चा कर रहा हूँ। व्यवस्था का मेरा प्रश्न यह है कि माननीय प्रधान मंत्री सुरक्षा परिषद के निर्णय के दुष्प्रभाव के संबंध में सभा के समक्ष वक्तव्य दे रहे हैं। मेरा यह कहना है कि जब लोक सभा सत्र चल रहा है तब सभा के समक्ष माननीय प्रधान मंत्री को ऐसा वक्तव्य देना परन्तु लोक सभा सत्र के दौरान प्रधान मंत्री के राजनीतिक सलाहकार श्री प्रमोद महाजन सभा के बाहर इस प्रकार का वक्तव्य दे रहे हैं। यह सभा के साथ खिलवाड़ है। क्योंकि लोक सभा सत्र के दौरान उनके दल के प्रवक्ता श्री प्रमोद महाजन ने सुरक्षा परिषद के निर्णय के आशय का उल्लेख सभा के बाहर किया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन, इसमें व्यवस्था संबंधी कोई प्रश्न नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ शामिल नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री पी. उपेन्द्र (विजयवाड़ा): ऐसे समय में जब लोक सभा का सत्र चल रहा हो, तो प्रधान मंत्री के राजनीतिक सलाहकार सभा के बाहर वक्तव्य दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री वारकला राधाकृष्णन: यह सभा की अवमानना है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)*

अपराह्न 4.12 बजे

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संकल्प

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): अध्यक्ष महोदय, 06 जून, 1998 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव की जानकारी माननीय सदस्यों को है। इस मामले में अपनी स्थिति पर मैं इस सदन को विश्वास में लेना चाहूंगा।

हमें खेद है कि सुरक्षा परिषद ने एक ऐसे तरीके से कार्य किया है जिसमें इसने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जो इसके उद्देश्यों की पूर्ति करने में पूर्णतः सहायक नहीं है। प्रस्ताव में नाभिकीय अप्रसार का कई बार जिक्र किया गया है। जैसा कि मैंने इस सदन में अपने पूर्व वक्तव्य में कहा था हम अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के एक जिम्मेदार और प्रतिबद्ध सदस्य हैं। प्रस्ताव में हमसे कोई भी नाभिकीय शस्त्र परीक्षण बिस्फोट न करने के लिए कहा गया है। भारत के लिए इस प्रकार का आग्रह करने का कोई प्रयोजन नहीं है क्योंकि हम इस कार्यक्रम को स्थगित रखने की स्वीच्छिक घोषणा पहले ही कर चुके हैं। हमने इस प्रतिज्ञा को विधिवत बाध्यता के रूप में परिणत करने के उपाय खोजने की अपनी इच्छा का भी संकेत दिया है। इसके अलावा हमने जेनेवा में निरस्त्रीकरण सम्मेलन में विखण्डनीय पदार्थों में कटौती से सम्बद्ध सन्धि पर बहुपक्षीय बातचीत में शामिल होने के लिए अपनी तत्परता के बारे में भी स्पष्ट संकेत दिया है। तथापि, हम विखण्डनीय सामग्रियों के उत्पादन पर एक तरफा रोक लगाने के लिए इन बातचीतों के प्रति अपने आपको पहले से ही प्रतिबद्ध नहीं कर सकते हैं। अप्रसार के प्रति अपनी वचनबद्धता को ध्यान में रखते हुए हम नाभिकीय सामग्रियों और प्रौद्योगिकियों के निर्यात पर सख्ती से नियंत्रण रखते हैं। इस संबंध में हमारा रिकार्ड दोषरहित रहा है और उन कुछ देशों से बेहतर रहा है जो नाभिकीय अप्रसार संधि के पक्षकार हैं अथवा नाभिकीय आपूर्तिकर्ता दल के सदस्य हैं अथवा वहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

तथापि संकल्प में यह आह्वान किया गया है कि हमें अपने नाभिकीय कार्यक्रम बन्द कर देने चाहिए अथवा हमारे प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम स्वीकार नहीं है। इस संबंध में सरकार द्वारा निर्णय अपने स्वयं के आकलनों तथा राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं के आधार पर युक्तियुक्त तथा उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से लिए जाएंगे। यह अधिकार जिसका दावा हम अपने लिए करते आए हैं, कोई नया दावा नहीं है, अपितु यह प्रत्येक सम्प्रभुता सम्पन्न देश का अधिकार है और यह एक ऐसा अधिकार है जिसका पिछले 50 वर्षों से इस देश की हर सरकार ने ज़रूरत शब्दों में समर्थन किया है।

इस संकल्प में एक सुस्पष्ट खामी है जिसमें ऐसी मान्यता का पूर्ण अभाव है कि अप्रसार का मसला एक क्षेत्रीय मसला नहीं है बल्कि जिसे एक भेदभाव-रहित सार्वभौमिक परिप्रेक्ष्य में लिया जाना होगा। हम इस बात को दुर्भाग्यपूर्ण समझते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प में सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक निकाय-अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय परिलक्षित नहीं होता है, जिसमें नाभिकीय हथियारों की वैधानिकता पर प्रश्नचिह्न लगाया गया है और इनकी समाप्ति के लिए तत्काल वार्ता का आह्वान किया गया है। इस सदन के सभा पटल पर रखी गई भारत की नाभिकीय नीति के विकास से संबद्ध दस्तावेज में, हमने नाभिकीय निरस्त्रीकरण के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया है। मुझे यह बात स्पष्ट रूप से कहनी है कि अन्य नाभिकीय हथियार-सम्पन्न राज्यों से भिन्न, जो अपने नाभिकीय जखीरों को अपना-अपना अनन्य अधिकार रखने के इच्छुक हैं, भारत की ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। सरकार ऐसे कदम उठाने के लिए वचनबद्ध है जिससे सभी नाभिकीय हथियारों की समाप्ति के लिए किसी सार्वभौमिक अभिसमय के संबंध में खुली वार्ताएं हो सकें। भारत द्वारा किये गये हाल के परीक्षणों को शान्ति और सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में पेश करने का प्रयास पूर्णरूपेण दिग्भ्रमित करने वाला है और अप्रासंगिक है। हमारी नीति को इस प्रकार से प्रस्तुत करने से सरकार द्वारा घोषित सकारात्मक उपायों को नजरान्दाज करता है जिसके बारे में सार्वभौमिक निरस्त्रीकरण रूप-रेखा और क्षेत्रीय संदर्भ दोनों रूपों में, मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूँ। हमारे परीक्षण इसलिए आवश्यक थे क्योंकि विकलांग अप्रसार व्यवस्था नाकाम रही, अतः हमने इस विचार को स्पष्ट रूप से नकार दिया कि इनसे क्षेत्रीय और सार्वभौमिक सुरक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

सरकार ने नाभिकीय निरस्त्रीकरण तथा अप्रसार की सम्पूर्ण श्रेणियों पर प्रमुख संभावियों के साथ अर्थपूर्ण वार्ता में शामिल होने की इच्छा का संकेत दिया है। पिछले सप्ताह विशेष दूत श्री ब्रजेश मिश्रा ने इस संबंध में पेरिस तथा लन्दन की यात्रा की। उन्होंने दोनों राजधानियों में वरिष्ठतम अधिकारी स्तर पर बैठकें की थी। अन्य देशों के साथ भी इसी प्रकार की वार्ता करने की योजना है।

इन वार्ताओं को एक ऐसी प्रक्रिया के भाग के रूप में देखा जाना चाहिए जिससे भारत की स्थिति को बेहतर समझ-बूझ के साथ स्थापित किया जा सकेगा।

माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि भारत पाकिस्तान के साथ विश्वास, तथा एक-दूसरे के हितों के प्रति सम्मान पर आधारित एक शांतिपूर्ण, मित्रतापूर्ण एवं आपसी लाभकारी संबंध की इच्छा सदा व्यक्त करता रहा है। मैंने दोनों सदनों में पहले भी कहा है तथा इसे मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि एक सुरक्षित और सम्पन्न पाकिस्तान, भारत के हित में है। द्विपक्षीय संबंधों के प्रति हमारा दृष्टिकोण केवल बकाया मसलों के निपटारे तक ही सीमित नहीं है अपितु सहयोग के एक स्थायी ढांचे के निर्माण की कामना द्वारा भविष्य की ओर निर्दिष्ट है जो दोनों देशों के लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। जैसा कि मैंने हाल ही में प्रधान मंत्री नवाज शरीफ को लिखा है कि हमें इतिहास के गर्त में पुराने विवादों में ही नहीं फंसा रहना चाहिए। और मैं आज भी उन्हें कहता हूँ कि हमें अपने इतिहास को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए तथा अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ी के कल्याण के बारे में विचार करना चाहिए।

हम पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय बातचीत करने के प्रति वचनबद्ध रहे हैं। यह राष्ट्र की दृढ़ धारणा और विश्वास को परिलक्षित करता है कि स्थायी और सकारात्मक रूप से सीधा बातचीत ही वह रास्ता है जिस पर हमारे द्विपक्षीय संबंध आगे बढ़ सकते हैं। मैं पाकिस्तान के साथ आधिकारिक स्तर की वार्ता शीघ्र आरंभ करने की इच्छा फिर से दोहराता हूँ। इस बातचीत के लिए शांति और सुरक्षा, (विश्वासोत्पादक उपायों के साथ-साथ) जम्मू और कश्मीर, आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग और सीमापार के आतंकवाद जैसे विषयों की पहचान कर ली गई है। इन बातचीतों के तौर तरीकों पर हमने पाकिस्तान के समक्ष ये प्रस्ताव इस वर्ष जनवरी में रखे थे। हम उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ हमारी बातचीत की प्रक्रिया चाहे कैसी भी क्यों न हो परन्तु इसमें बाहरी हस्तक्षेप को कोई स्थान नहीं दिया जाएगा।

माननीय सदस्यों ने कश्मीर मसले को अंतर्राष्ट्रीय रूप देने जाने के प्रयासों पर अपनी तीव्र प्रतिक्रियाएँ व्यक्त की हैं। समस्या के इस प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीयकरण के किसी प्रस्ताव पर भारत की सहमति का कोई प्रश्न नहीं उठता। संयुक्त राष्ट्र परिषद ने अपने संकल्प में कश्मीर का उल्लेख किया है। यह अस्वीकार्य है तथा इससे इस वास्तविकता में कोई परिवर्तन नहीं होता है कि जम्मू और कश्मीर राज्य भारत संघ का एक अभिन्न अंग है। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान उन शब्दों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जहाँ संकल्प में कश्मीर का जिक्र किया गया है। संयुक्त राष्ट्र

सुरक्षा परिपद ने यह माना है कि भारत-पाक संबंधों का आधार द्विपक्षीय बातचीत होना चाहिए तथा कश्मीर सहित सभी अनसुलझे मसलों का परस्पर स्वीकार्य हल निकाला जाना चाहिए। यह हमारी स्थिति को ध्यान में रखकर किया गया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रधान मंत्री महोदय, क्या आप श्री पी.सी. चाक्को द्वारा कही गई बातों का जवाब देना चाहेंगे?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: एरिट्रा से अंतिम सूचना यह प्राप्त हुई है कि वहाँ युद्ध विराम के आदेश दे दिये गये हैं तथा इसे क्रियान्वित किया जा रहा है। इसी बीच, मैंने सरकार से सुरक्षा की दृष्टि से वापिस करने हेतु इच्छुक सभी व्यक्तियों को लाने हेतु सभी व्यवस्थाएँ करने के लिए कहा है तथा इन्हें शीघ्रताशीघ्र किया जायेगा।

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण (कराड़): महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: अब शाम के 4.30 बज चुके हैं। हमें रेल चर्चा को पूरा करना है। कृपया कोई व्यवस्था का प्रश्न प्रस्तुत करने का स्पष्टीकरण न मांगें।

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण: नियम 372 के अंतर्गत मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सरकार द्वारा दो महत्वपूर्ण वक्तव्य दिए गए हैं; एक उद्योग मंत्री द्वारा तथा दूसरा प्रधान मंत्री द्वारा।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): अध्यक्ष महोदय, सदन रात को देर तक चलेगा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि डिनर का इंतजाम यहीं किया गया है।

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण: दो महत्वपूर्ण वक्तव्य दिये गये हैं। सामान्य प्रथा एक अनुपूरक कार्यसूची जारी करने की है ताकि मंत्रियों की बात सुनने हेतु हमारे नेतागण भी उपलब्ध रह सकें। लेकिन इन वक्तव्यों के पूर्व कोई भी अनुपूरक कार्यसूची जारी नहीं की गई है। कृपया इस बात को स्पष्ट करें।

अध्यक्ष महोदय: मैंने उन्हें वक्तव्य देने की अनुमति दी है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: माननीय सदस्यों और प्रेस के लिए डिनर का इंतजाम यहीं है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नाश्ता, सब कुछ।

श्री एस. जयपाल रेड्डी (महबूबनगर): प्रधान मंत्री मारुति समझौते के बारे में कुछ कहना चाहते थे। उन्हें बीच में ही रोक दिया गया। वे अपने वक्तव्य को पूरा क्यों नहीं करते? उन्होंने मारुति समझौते में अपनी सरकार के समर्थन की प्रतिज्ञा दी है। आपने आधा बोलकर छोड़ दिया है, हम इससे बिलकुल डिस्टेटिस्फाइड हैं।

अध्यक्ष महोदय: अब रेल बजट पर आगे चर्चा की जायेगी। अब श्री कृष्णदास बोलेंगे।

श्री एन.एस. कृष्णदास (पालघाट): क्या मैं अपनी बात आरम्भ कर सकता हूँ?

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात आरम्भ कीजिए। अन्यथा मैं अन्य सदस्य को आमंत्रित करूंगा।

...(व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी: कृपया प्रधान मंत्री जी को अपना वक्तव्य देने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सदन का कुछ समय ले लूँ। हमारे मित्र श्री रेड्डी ने मारुति और सुजुकी का मामला खड़ा किया है। ... (व्यवधान)

श्री मोहन सिंह (देवरिया): उन्होंने खड़ा नहीं किया है, आपने बयान देकर खड़ा किया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: जो इस वक्तव्य के रूप में मंत्री महोदय ने सदन के सामने उपस्थित किया है। हम उस वक्तव्य पर चर्चा कराने के लिए तैयार हैं, खुली चर्चा होनी चाहिए। ... (व्यवधान)

श्री मोहन सिंह: पारदर्शिता होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मि. मोहन सिंह, यह ठीक नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अगर हम प्रतिपक्ष को संतुष्ट कर दें तो फिर उसके लिए हमें धन्यवाद दिया जाना चाहिए।